



उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

(राज्य सरकार का स्वायत्तकारी निकाय, विज्जविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त; भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

हरावाला, देहरादून - 248001

ईमेल : uauaffiliation@gmail.com

वेबसाइट : uau.ac.in

दिनांक : 19/11/2023

पत्रांक 2547/उ0आ0वि0/सम्बद्धता/2023-24

सम्बद्धता कार्यालय आदेश

शैक्षणिक सत्र-2023-24

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, (NCISM) नई दिल्ली, आयुष मंत्रालय भारत सरकार की संस्तुति/स्वीकृति पत्र संख्या Ref. No.3-4/MARB/ 2023-Ay. (107) दिनांक 06.09.2023 के क्रम में उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा-33 की उपधारा (4) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुपालन में निम्नांकित संस्थान/परिसर को स्तम्भ-03 में वर्णित पाठ्यक्रम हेतु उनके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ-5 में वर्णित अवधि के लिए अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	परिसर/संस्थान/ महाविद्यालय का नाम	संचालित पाठ्यक्रम का नाम	संस्थान में प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
01	02	03	04	05
01	श्रीमती मंजीरादेवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हिटाणु, धनारी, उत्तरकाशी।	BAMS	54 सीट	शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु अस्थाई सम्बद्धता।

- परिसर/संस्थान को विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों का पालन किया जाना होगा।
- परिसर/संस्थान में मानक के अनुसार अर्ह फ़ैकल्टी की नियुक्ति/सेवानिवृत्ति/पद त्याग की स्थिति में सूचना की पुष्टि समय-समय पर विश्वविद्यालय को दी जानी होगी।
- परिसर/संस्थान द्वारा किसी दूसरे विश्वविद्यालय का कोई दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र संचालित नहीं किया जायेगा।
- छात्रों से शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जायेगा। यदि निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की पुष्टि होती है तो विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- यदि किसी संस्थान द्वारा शासन एवं विश्वविद्यालय के आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए दी गयी अनापति (NOC) को वापस लिए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

(13)